फद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

श्री नरसिंह

बनाम

श्रीमती सीता इत्यादि

किस्म मुकदमा....223आर.टी.एक्ट न. 42 सन् 2023 जी.सी.एम.एस. नं.75/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2023	पत्रावली बाद जांच होकर कार्यालय से पेश हुई। अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 67/2020 बअनवान श्रीमती सीता व अन्य बनाम नरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.01.2021 के विरुद्ध पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री ओ.पी. बूब उपस्थित। अपील नियमानुसार म्याद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेंट्स के सम्मन जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली दिनांक 16.03.2023 को पेश हो।	नोटिस 486-87 3/3/23
16.3.23	पत्रा. पेश हुई। अधि. कार्य बहिष्कार पर। पत्रा. पूर्वानुसार दिनांक 18.4.23 को पेश हो।	
18.4.23	पत्रा पेश हुई। अधि. अपीलांट उप.। सम्मन इन्तजार रहे। पत्रा. दिनांक 10.05.2023 को पेश हो।	
8.6.23	मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा सामूहिक कार्य बहिष्कार के कारण पत्रा. आज पेश हुई वकुलाय/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.8.23 को पेश हो।	
10/8/2023	पत्रावली वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत तलब करने मिसल पर आज पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता, अपीलांट स्वयं एवं [illegible] अधिवक्ता उप.। अपीलांट की पहचान उनके अधिवक्ता श्री भरत बूब द्वारा की गई।	(नरसिंह) Identified by me. Adv.

अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 CPC पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादी नरसिंह पुत्र भवरराम जी जाति माली नि. रातानाडा आज स्वयं न्यायालय में उपस्थित है। वे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरुद्ध यह अपील चलाना नहीं चाहते हैं एवं अपने द्वारा प्रस्तुत अपील को वापिस विड्रॉल खारिज करवाना चाहते हैं। दोनों पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे। अंत में अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलार्थी वापिस विड्रो खारिज फरमायी जावे।

अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहने तथा अपील को वापिस विड्रो खारिज करवाने के अनुतोष को न्याय हित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 CPC स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी वापिस विड्रो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को रवानगी आदेश प्रति भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर